सं0 7022/15(1)/83-31(16)/77

प्रेषक,

श्री ज्ञान चन्द्र जैन
संयुक्त सचिव
उ0प्र शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (1) अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 1984

विषय : राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 1/2 /1973-कार्मिक 2, दिनांक 23 मई, 1983 से सुस्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सरकरी कर्मचारियों को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करन के उपरान्त सेवा-विस्तार/पुनर्नियुक्त/अनुबन्धन के अधारपर अथवा दैनिक वेतन पर नियुक्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2 - इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग की विशेष कठिनाइयाँ शासन के समक्ष आई हैं कि राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र के मध्य सेवा-निवृत्त होने से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में सम्बधित विषय के अध्यापक का कार्य कुछ समय के लिये अस्त-व्यस्त हो जाते हैं अपितु उनके स्थान पर जो नये अध्यापक आते हैं उनके लिये पूर्ण गति के कार्य करने में कुछ समय लग जाता है जिसके कारण शिक्षण कार्य में एक लम्बी अवधि के लिए ढिलाई आ जाती है तथा दूसरी ओर जिन संस्थाओं के अध्यापकों के स्थानांतरण अथवा प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार की रिक्तियां भरी जाती हैं उनमें भी शैक्षिक कार्यो में अवरोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार कई विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है और छात्रों छात्राओं की पढाई में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है।

3 - उपरोक्त कठिनाइयों का सम्यक रूप से विचारोपरान्त पार्श्वांकित शासनादेशों का अतिकमण राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हंस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत ये आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानचार्यो को जो शिक्षा सत्र के मध्य में (अर्थात 1 जुलाई के बाद तथा 30 जून से पहले) अधिवर्षता की आयु (58वर्ष) प्राप्त कर रहे हों को निम्नांकित शर्तों पर सम्बन्धित शैक्षिक सत्रके अन्त तक (अर्थात 30 जून तक) सेवा विस्तारण दे दिया जाए :.....

(1) सेवाकाल में सम्बन्धित अध्यापक/प्रधानाध्यापक/पधानाचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो।
(2) वह शारीरिक एवं मानशिक रूप से स्वस्थ हो।

1 सं0 8196/15-1-31(16)/77 दि0 8-2-1970
2 सं0 12429/15-2-27(1)/76 दि0 12-5-1977
3 सं0 यू0 ओ0 318/15-2-77-30(67)/दि0 6-2-78

(3) वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढाता हो।

4 - मुझे यह कहने का निदेश दिया हुया है कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों उनको सेवा में अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य मे बिना किसी विशेष कारण के विना न लगाया जाय जिससे उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाय।

5 -मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन के शिक्षा (14)अनुभाग के शासनादेश सं0-14-30 (60)/71,दिनांक 6-5-1982सपठित शासनादेश संख्या 2074/15-14-301 (67) /71,दिनांक 26-7-1983 में जारी किये आदेशानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत अध्यापकों को जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं, उनकी अधिवर्षता आयु के पश्चात दो वर्ष के सेवा विस्तरण की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानध्यापकों/प्रधानाचार्यो को पूर्ववत् जारी रहेगी।

6- राज्यपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 से 4 के मूल नियम 56 (ए) के अन्तर्गत यह भी आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों/ महाविद्याालयों में कार्यरत सभी राष्ट्रीय/राज्य पुरसकार प्राप्त अध्यापकों/प्रधानध्यापकों/प्रधानाचार्यो को जो शैक्षिक सत्र के मध्य में (अर्थात 1 जुलाई के बाद तथा 30 जून से पहले)60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों ;को उपर्युक्त परिच्छेद-3 में उल्लिखित शर्तो पर ही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सम्बन्धित शैक्षिक सत्र के अंत तक (अर्थात 30 जून तक)सेवा विस्त रण प्रदान किया जाय।इन मामलों में भी यह आवश्यक होगा कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन कार्य न कर रहे हों ,उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में विना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय।

यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जरी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ज्ञान चन्द्र जैन,
संयुक्त सचिव

संख्या 7022 (1)/15-1-84-31 (16)/77-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रपित ः

1 समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ,उ0 प्र0
2 समस्त मण्डली वालिका विद्यालय निरीक्षिकाएं ,उ0प्र0
3 समस्त प्रधानाचार्य राजकीय डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज,उ0प्र0
4 समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उ0प्र0
5 समस्त जिला वालिका विद्यालय निरीक्षिकाएं ,उ0प
6 समस्त जिला वेसिक शिक्षाअधिकारी,उ0प
7 समस्त अतिरिक्त जिला वेसिक शिक्षाअधिकारी,उ0प
8 महालेखाका ,उ0प्र0 ,इलाहाबाद
9 शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग
10 कार्मिक अनुभाग-2

आज्ञा से
ज्ञान चन्द्र जैन,
संयुक्त सचिव

संख्या 034 / सत्तर–5–2011- 00(1) / 2010

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर,2011

विषय: प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यों को अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सत्रांत लाभ प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–डिग्री सेवा / 6800 / 2009–10 दिनांक 18.11.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं को अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सत्रांत लाभ प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 7022 / 15(1) / 83 -31(16) / 77 दिनांक 21 मार्च 1984 द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(ए) के अन्तर्गत यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं / प्राचार्यों को, जो शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात् 01 जुलाई के बाद तथा 30 जून के पहले अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर रहे हों निम्नांकित शर्तों पर शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक सत्रांत लाभ दे दिये जाने का प्राविधान है :–

(1)सेवा काल में संबंधित प्रवक्ता / प्राचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो।

(2)वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।

(3)वह वास्तव में कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो ।

2. उपर्युक्त शर्तों के अधीन राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं / प्राचार्यों को सत्रांत लाभ स्वीकृत करने हेतु निदेशालय / शासन स्तर पर विचार किया जाता है, जिससे सत्रांत लाभ स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। उक्त कठिनाईयों से बचने तथा सत्रांत लाभ स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ताओं / प्राचार्यों को स्वतः सत्रांत लाभ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं / प्राचार्यों को जो शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात

01जुलाई के बाद व 30जून के पहले अधिवर्षता आयु प्राप्त कर रहे हों, को निम्नलिखित शर्तों पर शैक्षणिक सत्र के अन्त तक अर्थात 30जून तक सत्रान्त लाभ दिया जायेगा

(1)सेवा काल में संबंधित प्रवक्ता/प्राचार्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो।

(2)वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।

(3)वह वास्तव में उस विषय को नियमित रूप से पढ़ाता हो, जिसमें वह आयोग द्वारा चयनित किया गया हो।

3 अतः उक्त शासनादेश संख्या–7022/15(1)/83–31(16)/77 दिनाँक 21 मार्च,1984 को संशोधित करते हुये श्री राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि उपरोक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन राजकीय महाविद्यालय के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों को शिक्षण सत्र के मध्य अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर उन्हें शिक्षण सत्र के अन्त अर्थात् 30 जून तक स्वतः सत्रांत लाभ दिया जायेगा, बशर्ते कि संबंधित प्रवक्ता/प्राचार्य शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। किसी प्रवक्ता/प्राचार्य को स्वतः सत्रांत लाभ देय नही होगा जब तक कि वह सत्र लाभ दिये जाने हेतु लिखित प्रार्थना पत्र अपनी अधिवर्षिता आयु के तिथि से 03 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दे।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं एवं तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

संख्या–834(1)/सत्तर–5–2011,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
(4) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(5) वित्त (सामान्य) अनुभाग–2।
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 जयदेव मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सं0टिपी सेवा/ 2937–3152 /2011–12 दिनांक 03–10–2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, लखनऊ।
2 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5 विधि प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

O.P. Srivastava

डा0(ओ0पी0श्रीवास्तव)
सहायक शिक्षा निदेशक,
कृते निदेशक,(उच्च शिक्षा)उ0प्र0,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सुश्री मनोहर लाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

लखनऊ दिनांक 29 जनवरी, 2014

उच्च शिक्षा अनुभाग–5

विषयः– प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सत्रांत लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–834/सत्तर–5–2011–80(1)/2010 दिनांक 23–09–2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–7022/15(1)/83–31(16)/77 दिनांक 21–03–1984 एवं शासनादेश संख्या –834/सत्तर–5–2011–80(1)/2010 दिनांक 23–09–2011 पर सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–834/सत्तर–5– 2011 –80(1)/2010 दिनांक 23–09–2011 के आंशिक संशोधन में निम्नलिखित शर्तें/प्राविधान रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) यदि किसी राजकीय महाविद्यालय में किसी विषय के प्रवक्ता का पद रिक्त है तथा प्राचार्य उक्त विषय में ही लोक सेवा आयोग से चयनित है और नियमित रूप से कक्षाएं लेता है तो उसे सत्रान्त लाभ की सुविधा अनुमन्य होगी। यदि किसी राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य जिस विषय में लोक सेवा आयोग से चयनित है और उस महाविद्यालय में उक्त विषय का प्रवक्ता तैनात है तो ऐसे प्राचार्य को सत्रांतलाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(2) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरांत सत्रांत लाभ की सुविधा प्राप्त करने वाले किसी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे। महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही, सतर्कता जाँच, अभियोजन की कार्यवाही प्रचलित/लंबित न हो, द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा।

3– इस प्रकार सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21–01–1984 एवं शासनादेश दिनांक 23–09–2011 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव ।

संख्या- 176(1)/सत्तर-6-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
(5) वित्त (सामान्य) अनुभाग-2/कार्मिक अनुभाग-1
(6) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनु सचिव ।

कार्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पृ०संख्या डिग्री सेवा/ 11770-11092 /2013-14 दिनांक 03 फरवरी, 2014

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण
7. गार्ड फाइल

O.P. Srivastava

डा०(ओ०पी०श्रीवास्तव)
सहायक शिक्षा निदेशक
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)उ०प्र०,
इलाहाबाद।